


58

II/निगरानी/सागर/भू-सी/2017/1634

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर



प्रकरण क्रमांक :-

12019 निगरानी

साहन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह लोधी,
निवासी- ग्राम हीरापुर, सुरखी, तैहसील व
जिला सागर-मध्य प्रदेश ।

श्री. ~~राज. को. काव. प्र.~~
द्वारा आज दि. 5.6.17 को
प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

----- पृथी

बिराघ्द

रामदास पुत्र लक्ष्मण सिंह लोधी,
निवासी- ग्राम हीरापुर, थाना सुरखी,
तैहसील व जिला सागर-मध्य प्रदेश ।

4/6/17

निगरानी बिराघ्द आदेश अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग
दिनांक 12-08-17, अर्तगत धारा 40 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता,
1956 प्रो.क्र. 638 अ-70 वर्ष 16-17 ।

श्रीमान जी.

I / निगरानी / सफर / अ.श. / 2017 / 1634

8.6.2017

आवेदक की ओर से श्री एस०के० अवलसी
अभिजासक उपस्थित। ~~अ~~ शीघ्र सुनवाई के
आवेदन पत्र पर प्रकृष्ट आज किया गया।
उपरोक्त तर्क है कि यदि आवेदक को जेब भेज
दिया गया तो अपर मायुक्त के समक्ष प्रयाहित
अपील ~~मिल~~ निरर्थक हो जायेगी। अतः
अपील के निराकरण तक आवेदक को
जेब न भेजा जाये।
२/ इस प्रकृष्ट में कोई कार्यवाही शीघ्र
नहीं होने से समाप्त किया जाता
है।

अ.श.

अ.श.